

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 11(1)मं.मं./1999

जयपुर, दिनांक 18-07-2022


आदेश

राज्य में गठित विभिन्न आयोग/निगम/बोर्ड/समितियों में पदस्थापित अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, को वेतन एवं सत्कार भत्ता हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 07.12.20217 के अतिक्रमण में तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार वेतन एवं सत्कार भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

मद	देय सुविधाएँ
वेतन	65000/- (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 62000/- (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 60000/- (जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)
सत्कार भत्ता	55000/- (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 55000/- (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) 40000/- (जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)


उक्त के अतिरिक्त शेष सुविधाएँ मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30.11.2012 के अनुसार यथावत रहेंगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102203352 दिनांक 18.07.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विभिन्न बोर्ड/आयोग/निगम के मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
9. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।


(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव